संख्या: 997/68-5-2020

-46-

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2020

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

विषय : शैक्षिक सत्र 2019-20 में जनपद बुलन्दशहर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित दिनांक 16.08.2019 के उपरान्त किये गये समायोजन /संशोधन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 जि0बे0शि0अ0/6538-39/2019-20 दिनांक 11.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शैक्षिक सत्र 2019-20 में जनपद बुलन्दशहर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित दिनांक 16.08.2019 के उपरान्त किये गये समायोजन/संशोधन की कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 में प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के जनपद के अंदर समायोजन के संबंध में शासनादेश सं0 572/68-5-2019-15(149)/10 टी0सी0-1 दिनांक 17.06.2019 द्वारा आदेश निर्गत किये गये थे, जिसमें समायोजन की कार्यवाही दिनांक 15.07.2019 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये थे। शासनादेश सं0 722/68-5-2019-15(149)/10 टी0सी0-1 दिनांक 31.07.2019 द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु जनपद के अंदर समायोजन के लिये अंतिम दिनांक 15.07.02019 को संशोधित करते हुये दिनांक 16.08.2019 निर्धारित की गयी। आपकी आख्या से स्पष्ट है कि जनपद बुलन्दशहर में शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात भी समायोजन की कार्यवाही की गयी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 16.08.2019 के उपरान्त किये गये अध्यापकों के समायोजन/संशोधन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया,
17/2/2020
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Avneesh-G.O.-3632.doc